

सं०सं०-1/व०आ०सं०-01/2018- 120 (1) व०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक- 19 / 03 / 2019

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210051050022 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवायें मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रु० 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210051050022 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवायें मद में कुल रु० 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश सं०-370(1), दिनांक-15.03.2019 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



क्रमशः



6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/03/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0-01/2018- 120(1) ब0 /स्वा0, पटना, दिनांक- 19 / 03 / 2019
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा),
बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी,
राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक
प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त
प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/19

सरकार के विशेष सचिव

OK

वर्द्धमान इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पावापुरी, विपन कोड-20-2210051050022 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	पूर्व का बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0022.01.01 वेतन	75000000	50000000	125000000	75000000	50000000	125000000	0
0022.01.03 जीवन यापन भत्ता	7500000	5000000	12500000	7500000	5000000	12500000	0
0022.01.04 मकान किराया भत्ता	11200000	6000000	17200000	11200000	6000000	17200000	0
0022.01.05 परिवहन भत्ता	5000000	1500000	6500000	5000000	1500000	6500000	0
0022.01.06 चिकित्सा भत्ता	5000000	1500000	6500000	5000000	1500000	6500000	0
0022.01.07 अन्य भत्ता	7410000	1000000	8410000	7410000	1000000	8410000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	111110000	65000000	176110000	111110000	65000000	176110000	0
0022.28.02 सचिवा सेवायें	50000000	30582000	80582000	50000000	30582000	80582000	0
कुल योग:-	161110000	95582000	256692000	161110000	95582000	256692000	0

(रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बरसी हजार)



सरकार के विशेष सचिव



120(1) शी

19.03.2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/VIMS-01/2019-370(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/3/2019

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा- वित्त विभाग।

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं भत्ते तथा 0022.28.02 संविदा सेवायें मद में कुल रू0 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते तथा 0022.28.02 संविदा सेवायें मद में कुल रू0 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक-18.04.11 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(15/3/19)

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/VIMS-01/2019-370(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 15/3/2019

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/3/19)

सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त / अनुदान

.....के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/VIMS-01/2019- 287(1) /स्वा०, पटना, दिनांक-06/03/2019

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं भत्ते तथा 0022.28.02 संविदा सेवायें मद में कुल रू० 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित।

2. अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं भत्ते तथा 0022.28.02 संविदा सेवायें मद में कुल रू० 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र की राशि संस्थान के कर्मियों के वेतन, बिजली बिल के भुगतान तथा अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु नितान्त आवश्यकता है।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के वेतन, 0007.13.04 विद्युत प्रभार, 0007.20.03 प्रशिक्षण व्यय, 0007.28.02 संविदा सेवायें तथा 0007.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल समतुल्य राशि रू० 9,55,82,000/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख बेरासी हजार) मात्र की वित्तीय वर्ष 2018-19 में बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है।

16/03/19

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं0-221

मॉग सं0-20

अनुदान / विनियोग

मॉग सं0-20

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-माधव मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।

शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0		₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0022.01.01 वेतन	75000000	75000000	125000000	50000000	125000000	0007.01.01 वेतन	235202000	286770000	221770000	65000000	221770000
0022.01.03 जीवन यापन भत्ता	7500000	7500000	12500000	5000000	12500000	0007.13.04 विद्युत प्रभार	30000000	30000000	12500000	17500000	12500000
0022.01.04 मकान किराया भत्ता	11200000	11200000	17200000	6000000	17200000	0007.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	100000	18000	82000	18000
0022.01.05 परिवहन भत्ता	5000000	5000000	6500000	1500000	6500000	0007.28.02 संचिता सेवायें	50000000	50000000	40000000	10000000	40000000
0022.01.06 चिकित्सा भत्ता	5000000	5000000	6500000	1500000	6500000	0007.34.01 छात्रवृत्ति / वजीफा	10000000	10000000	7000000	3000000	7000000
0022.01.07 अन्य भत्ता	7410000	7410000	8410000	1000000	8410000						
योग-वेतन एवं भत्ते	111110000	111110000	176110000	65000000	176110000						
0022.28.02 संचिता सेवायें	50000000	50000000	80582000	30582000	80582000						
योग-				95582000						95582000	

287(1)
06-03-2019

17/07/19
सरकार के संयुक्त सचिव